# गर्मी में करें संवेदनशीलता से कार्य : कलैक्टर लोक बन्धु

■ जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित

**अजमेर ।** जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में गुरूवार को जिला कलैक्टर लोक बन्धु ने गर्मी के दौरान जलदाय विभाग के अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश प्रदान किए।

जिला कलैक्टर लोक बन्धु की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता समिति (डीडब्ल्यूएमएस) की बैठक गुरूवार को आयोजित हुई। इसमें जिला कलक्टर ने जल जीवन मिशन के समस्त बकाया कनेक्शन तत्काल करने के निर्देश दिए। इससे इनका लाभ इसी गर्मी में आमजन को मिल सकेगा। इसी प्रकार मेजर प्रोजेक्ट के कार्य की गति बढा कर बकाया नल कनेक्शन तत्काल जारी किए जाने के लिए भी निर्देशित किया। किए गए नल कनेक्शनों को पॉर्टल पर अपलोड करें। एफएचटीसी ग्रामों के समस्त आंगनबाडी केन्द्र, विद्यालय एवं ग्राम पंचायत भवन को नल कनेक्शन से जोड़ना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि समस्त अधिकारी फील्ड में रहकर अपनी उपस्थिति दर्शाएंगे। पेयजल सप्लाई के दौरान विभागीय अधिकारी प्रारम्भिक, मध्यम एवं अन्तिम सिरे पर प्रेशर की जांच करेंगे। अन्तिम सिरे पर तक पेयजल पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास करें। इस दौरान स्थानीय व्यक्तियों के साथ पेयजल की उपलब्धता के सम्बन्ध में चर्चा की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता गर्मी के दौरान सभी को पेयजल उपलब्ध करवाना है।

इसके लिए समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना समस्त स्तरों पर होनी चाहिए। यह कार्य पूर्व प्राथमिकता से करें। क्षेत्र में अवैध नल कनेक्शनों के विरूद्ध जारी अभियान में तेजी लाने की आवश्यकता है। आदतन पेयजल चोरी करने वालों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं की क्रियान्विति समय पर होनी चाहिए। हेण्डपम्प की स्वीकृति जारी होने के सात दिवस में सभी हेण्डपम्प खुदने आवश्यक है। हेण्डपम्प की मरम्मत 24 घण्टे के भीतर होनी चाहिए। सर्म्पक पॉर्टल पर दर्ज शिकायतें प्राथमिकता से निस्तारित हो। गर्मी को देखते हुए नियंत्रण कक्ष एवं जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतों का संवेदनशीलता से निस्तारण करें। ट्यूबवेल खुदाई के टेण्डर खुलते ही कार्यदेश जारी कर खुदवाने की व्यवस्था करें।इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु, अधीक्षण अभियंता रामचन्द्र राड़, राजीव कुमार सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

## नृत्य का दिया प्रशिक्षण

**अजमेर,** (कासं)। अजमेर की अग्रणी सांस्कृतिक संस्था कला अंकुर की शास्त्रीनगर स्थित कला अंकुर में 15 मई गुरूवार को शास्त्रीय गायन, सुगम एवं कराओके, वाद्यवादन, ढोलक, तबला, की बोर्ड, हारमोनियम, गिटार, नृत्य में कथक, बॉलीवुड, लोकनृत्य, आर्ट एवं क्राफ्ट कैलीग्राफी एवं हस्तलेखन, स्कैटिंग ड्राईग, पेंटिंग एवं ड्रोमोटिक्स विषयों पर ग्रीष्म कालीन प्रशिक्षण कक्षाएं प्रारम्भ हो गई है।

## समीक्षा बैठक आयोजित

**अजमेर,** (कासं)। कलेक्ट्रेट सभागार में अतिरिक्त जिला कलक्टर की अध्यक्षता में 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य आयोजना अधिकारी रुद्रा रेणु ने 20 सूत्री कार्यक्रम की सम्बंधित विभागों की माह अप्रेल 2025 की मासिक प्रगति से अवगत कराया। माह अप्रेल 2025 की प्रगति के अनुसार 20 सूत्री कार्यक्रम में राजीविका के सूत्र एसएचजी प्रमोटेड, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सूत्र संस्थागत प्रसव, अनुसूचित जाति एवं जनजाति निगम, वन विभाग के सूत्र में आवण्टित लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धि कम रही। राज्य स्तर से लक्ष्य आवण्टित नहीं होने पर कार्य योजना बनाकर कार्य करने हेतु निर्देशित किया। शेष विभागों की प्रगति सन्तोषजनक रही। सम्बन्धित विभागों को इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रारम्भ से ही आवण्टित लक्ष्यों के विरुद्ध शत-प्रतिशत गुणात्मक एवं मात्रात्मक उपलब्धि अर्जित करने के लिए निर्देशित किया गया।

# तहसील में पंजीयन के नाम पर दलालों का बोलबाला

**आसींद ।** भीलवाड़ा जिले की आसींद तहसील में इन दिनों पंजीयन कार्यालय के बाहर दलालों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। जमीन और अन्य संपत्तियों के पंजीयन के लिए आने वाले आम लोगों को सीधे कार्यालय में काम कराने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि दलाल सक्रिय रूप से पंजीयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिससे लोगों को अनावश्यक रूप से आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है। सूत्रों की मानें तो पंजीयन कार्यालय के आसपास दलालों का एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा है। ये दलाल कार्यालय में आने वाले लोगों को घेर लेते हैं और उन्हें सीधे काम कराने में आने वाली कथित मुश्किलों का हवाला देकर अपनी सेवाएं लेने के लिए मजबूर करते हैं। जरूरतमंद लोग, जिन्हें प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं होती या जो समय की कमी से जूझ रहे होते हैं, अक्सर इन दलालों के जाल में फंस जाते हैं । पीड़ितों का कहना है कि दलाल पंजीयन के नाम पर मनमानी रकम वसूल रहे हैं। सरकारी शुल्क के अलावा भी उन्हें रुपये अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं। जो लोग दलालों की मदद नहीं लेते, उन्हें काम कराने में अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ता है और कई बार तो उन्हें बार-बार कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं। स्थानीय लोगों ने इस समस्या को लेकर कई बार अपनी शिकायतें संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों में इस बात को लेकर गहरा आक्रोश है कि प्रशासन दलालों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। इस स्थिति के चलते आमजन में भारी निराशा और रोष व्याप्त है। लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि वे तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करें और पंजीयन कार्यालय को दलालों के चंगुल से मुक्त कराएं ताकि आम नागरिक बिना किसी परेशानी और अतिरिक्त खर्च के अपना काम करा सकें। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कब और कैसी कार्रवाई करता है। दलालों का बोलबाला, आमजन परेशान ।

## आश्रम छात्रावासों व आवासीय स्कूलों में प्रवेश शुरु

**अजमेर ।** जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित आश्रम छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों एवं बालिका छात्रावासों में प्रवेश के लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक खन्ना ने बताया कि प्रवेश के लिए विभाग की वेबसाईट के होम पेज पर ऑनलाईन पोर्टल फॉर एडमीशन इन टीएडी होस्टल एण्ड स्कूल (2025-26) लिंक पर क्लिक करके एसएसओ आईडी से लॉग इन कर स्वयं आवेदन कर सकते हैं। विभाग द्वारा हॉस्टल एण्ड स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम (एचएसएमएस) पॉर्टल आवश्यक रूप से प्रारम्भ कर दिया गया है। इस पर आवेदन प्राप्त किए जाकर प्रोसेसिंग उपरान्त मेरिट के आधार पर छात्रावास आवंटन किया जाएगा।

# क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ

**मदनगंज-किशनगढ़,**(निस)। माहेश्वरी पंचायत संस्था मदनगंज के तत्वाधान में माहेश्वरी इंटरनेशनल स्कूल में महेश नवमी महोत्सव पर माहेश्वरी प्रीमियर लीग आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ भगवान महेश के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। प्रतियोगिता में माहेश्वरी समाज की 12 टीमें भाग ले रही हैं। नवयुवक मंडल अध्यक्ष दीपक मंत्री ने बताया कि उद्घाटन मैच में फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब व चारभुजा क्लब के बीच मुकाबला हुआ। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब ने टॉस जीत कर बॉलिंग करने का फैसला किया। फ्रेंड्स क्लब ने चारभुजा क्लब को 52 रन पर ढेर कर दिया। एफसीसी के विनय मुंदडा व अर्पित मुंदड़ा ने 2-2 विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करने उतरी एफसीसी ने मात्र 5.4 ऑवर में 8 विकेट से जीत दर्ज की। नवयुवक मंडल सचिव मयंक खाबानी ने बताया की दूसरा मुकाबला माहेश्वरी सुपर किंग्स व श्रीराम वॉरियर्स के मध्य खेला गया। श्रीराम वॉरियर्स ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। माहेश्वरी सुपर किंग्स ने निर्धारित 14 में पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकिट खोकर 176 का विशाल स्कोर खड़ा किया। नितिन पोरवाल ने 4 छक्के व 3 चोक्के की मदद से 49 रनो की शानदार पारी खेली। बाद में खेलते हुए श्रीराम वॉरियर्स मात्र 61 रन ही बना सकी। माहेश्वरी सुपर किंग्स ने 115 के विशाल अन्तर से जीत दर्ज की। इस मौके पर माहेश्वरी पंचायत अध्यक्ष रामनारायण झंवर, सचिव किशन बंग, महोत्सव सह सयोजक राजकुमार कासट, प्रवक्ता नितिन राठी, देवकीनंदन लखोटिया, प्रमोद सोमानी, अक्षय तापड़िया सहित समाजबंधु उपस्थित रहे। अंपायर के रूप नरेन्द्र सिंह ने सेवायें दी।

## 67 प्रार्थियों की समस्याएं सुनी

**अजमेर ।** जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन गुरुवार को जिला कलैक्टर लोक बन्धु की अध्यक्षता में किया गया।

जनसुनवाई का आयोजन गुरूवार को कलेक्ट्रेट स्थित डीओआईटी वीसी रूम में हुआ। इसमें जिला कलैक्टर लोक बन्धु ने 67 प्रार्थियों के अभाव अभियोग सुने। जन सुनवाई में अतिक्रमण, सड़कों की मरम्मत, पट्टा, रास्ता खुलवाने, पेंशन पेयजल, शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत निजी विद्यालय में प्रवेश दिलाने, जनआधार अपडेट कराने, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने, स्टार्टअप के लिए फंड दिलाने, विद्युत ट्रांसफार्मर स्थानान्तरित करने, वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत कराने, अतिक्रमण हटाने, शमशान भूमि की अवाप्ति, सीमाज्ञान कराने, किशनगढ़ के वार्ड नंबर 14 में महात्मा गांधी विद्यालय की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने, अवैध पट्टा निरस्त कराने, दौराई पुलिया की मरम्मत, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, रास्तों को अतिक्रमण मुक्त कराने, नाले एवं नालियों की सफाई, तबीजी मायापुर रोड से आबादी के ऊपर से गुजर रही 11 केवी विद्युत लाइन को स्थानांतरित करने के सम्बन्ध में प्राप्त समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया। जनसुनवाई की राज्य स्तर से वीसी के माध्यम से मॉनिटरिंग की गई। सम्भागीय आयुक्त महेश चन्द्र शर्मा भी उपस्थित रहे । जिला कलैक्टर लोक बन्धु ने कहा कि सरकार द्वारा जनसुनवाई के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई है। इसके अन्तर्गत प्रथम गुरूवार को ग्राम पंचायत, द्वितीय गुरूवार को उपखण्ड तथा तृतीय गुरूवार को जिला स्तर पर जनसुनवाई होती है। मई माह के तृतीय गुरूवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई आयोजित हुई। अजमेर जिले की जन सुनवाई कलेक्ट्रेट स्थित डीओआईटी वीसी रूम में हुई। इसमें 67 प्रकरण प्राप्त हुए।


LSG/BEAWAR/MUT/2025-26/127930
DATE :- 10.05.2025 रजि. बेवान-नामा

**कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर**

क्रमांक/नगरीय विकास कर/2025-26/1681 दिनांक 15-05-25

**सार्वजनिक सूचना**

श्री प्रकाश काबरा पुत्र श्री सुरेश चन्द काबरा, श्री अजेश काबरा पुत्र श्री रमेश चन्द काबरा निवासी ब्यावर ने क्षेत्र नं. 6 प्रताप नगर गली नं. 01 मकान नं. 20 क्षेत्रफल 120.00 वर्गगज, जो कि श्रीमती भंवर कंवर पत्नी श्री अमरचन्द के नाम दर्ज है। वसीयत-नामा दिनांक 15.07.1985 व मृत्यु प्रमाण पत्र व स्वयं घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर नगरीय विकास कर अनुभाग(गृहकर) पंजिका में नाम अन्तरण के लिए आवेदन किया है। अतः इस नाम परिवर्तन के संबंध मे किसी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपत्ति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस में आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपत्ति विचारणीय नही होगी।

आयुक्त
नगर परिषद ब्यावर

**आम सूचना**

मैं मेरे मुवक्किल श्यामसुन्दर व्यास पुत्र राम चंद्र व्यास जाति ब्राह्मण उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम सतावड़िया तहसील मसुदा जिला ब्यावर की ओर से हर आम खास को सूचित करता हूँ कि मेरे मुवक्किल की पूर्वज स्व- श्री मति लक्ष्मी देवी पत्नी स्व. मांगीलाल व्यास जाती ब्राह्मण निवासी ग्राम सतावड़िया तहसील मसूदा जिला ब्यावर (राज.) के का विधिक वारीस है विधिक वारिसान होने के नाते लक्ष्मीदेवी के नाम राजस्व रिकॉर्ड खाता संख्या नया 447 खाता संख्या पुराना 417 खसरा नंबर 1132, 1491, 330, 331, 332, 333 कुल किता 6 कुल रकबा 2.5646 हेक्टेयर के संपूर्ण हिस्से पर हम वर्षों से काश्त करते आ रहे है । लक्ष्मी देवी के 1/2 हिस्से को हमारे नाम दर्ज करवाने हेतु राजस्व प्रक्रिया की जा रही है । इस बाबत किसी को किसी भी प्रकार का ऐतराज हो तो मय दस्तावेज आज दिनाँक से 7 दिवस में प्रस्तुत करें। बाद मियाद किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी ।

भवदीय युगल किशोर मालवीया एडवोकेट

**कार्यालय नगर निगम, अजमेर**

पी.आर. मार्ग, अजमेर, पिन कोड-305001, फोन नं. : 0145-2429972, 2429920
Email ID :- ajmermc@gmail.com, Website : www.ajmermc.org

क्रमांक / आर.ओ.टी. / 221 दिनांक : 12.05.25

**आम सूचना**

गृहकर ए.एम.सी. संख्या 84/22 श्री अनन्त मल सिंघवी पुत्र श्री पारसमल सिंघवी निवासी 117, तानाजी नगर, भजनगंज, अजमेर गृहकर / नगरीय विकास कर दाता हैं। विशु सिंह छीना पुत्री स्व. श्री अनन्त मल सिंघवी उर्फ आनन्द मल सिंघवी, निवासी-117, तानाजी नगर, भजनगंज, अजमेर हाल निवासी-41, स्टोव टैरेस ब्रेनफोर्ड, के द्वारा आवेदन पत्र पर जरिए स्वकर निर्धारण प्रपत्र, विक्रय पत्र, वसीयतनामा, शपथ पत्र आदि के आधार पर नगरीय विकास कर खाते में कर दाता का नाम प्रतिस्थापित किया जाना है। भूखण्ड / मकान की सीमाएं निम्नानुसार हैं :- पूर्व : 12 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिम : श्रीमती सीता देवी माथुर का मकान, उत्तर : भूखण्ड श्री आर.पी. माथुर, दक्षिण : सम्पति श्री वंशा जी रूपण। अतः नगरीय विकास कर खाता प्रतिस्थापित के संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो सात दिवस में मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में इस कार्यालय को आपत्ति प्रस्तुत करे। बाद मियाद प्रार्थी को करदाता के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया जावेगा। - उपायुक्त (विकास), नगर निगम, अजमेर

**कार्यालय नगर परिषद पुष्कर जिला अजमेर राजस्थान**

क्रमांक : न.प.पु./भूमि/2025/50 उजरदारी सूचना दिनांक : 14/5/2025

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्ति द्वारा व्यवसायिक भवन निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन पेश किया है। अतः आवेदक के वख्शीशुदा/खरीदशुदा सम्पति हक हकूक एवं मालिकाना स्वामित्व संबंधी किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस में अपनी आपत्ति मय प्रमाण प्रस्तुत करे। आपत्ति समयावधि बाद प्रस्तुत करने पर मान्य नहीं होगी तथा परिषद द्वारा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति की कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी, जिसके बाद में कोई आपत्ति/उजर मान्य नहीं होगा। विवरण नियमानुसार है-

| क्र.सं. | आवेदक का नाम मय पिता/पति | स्थान जहां सम्पति स्थित है | चतुर्थ सीमा | क्षेत्रफल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री पवन कुमार वैष्णव पुत्र श्री द्वारका दास वैष्णव | खसरा नं. 3025/1180, 3036/1178,3038/1179 मुरारी बाबू आश्रम के पास गनाहेडा | पूर्व- खसरा सं. 3037/1178,3039/1179,1180 की भूमि पश्चिम-खसरा नं. 1178,1179,3024/1180 की भूमि उत्तर-रास्ता दक्षिण- अन्य की भूमि | 1696.06 वर्गमीटर |

आयुक्त नगर परिषद पुष्कर

**कार्यालय नगर परिषद पुष्कर जिला अजमेर राजस्थान**

क्रमांक : न.प.पु./भूमि/2025/47 उजरदारी सूचना दिनांक : 13/5/2025

निम्न आवेदनकर्ता ने अपनी सम्पति के नामान्तरण हेतु नगर परिषद पुष्कर में आवेदन किया है जिस किसी भी व्यक्ति/संस्था इत्यादि को उक्त कार्यवाही में कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति विज्ञिप्ति प्रकाशन के 07 दिवस के अन्दर ठोस सबूत मय दस्तावेज के आधार पर नगर परिषद पुष्कर के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं परिषद द्वारा अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी।

| क्र.सं. | आवेदक का नाम | स्थान | चतुर्थ सीमा | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री सुरेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री नेमीचंद जैन एवं श्री अभिषेक जैन पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार जैन | प्लॉट नं. 28 क्षेत्रफल 173.33 वर्गगज हेलोज रोड के उत्तरी दिशा के पीछे बजरंग कॉलोनी नुरम कम्यूनिटी हॉल छोटी बस्ती पुष्कर | पूर्व- रास्ता पश्चिम- खुली भूमि | उत्तर-प्लाट नं. 29 दक्षिण-फेसिलिटी एरिया |

आयुक्त नगर परिषद पुष्कर

**कार्यालय नगर परिषद पुष्कर जिला अजमेर राजस्थान**

E-mail np pushkar.nagarpalika@gmail.com जल बचाने की पहल के चल प्रयास Ph -01452773025

क्रमांक : न.प.पु./सामान्य/25/287 उजरदारी सूचना दिनांक : 13/5/2025

निम्न आवेदनकर्ता ने अपनी सम्पति के 90-क/फ्री होल्ड के पट्टे के लिए आवेदन किया है। जिस किसी भी व्यक्ति को उक्त कार्यवाही में कोई आपत्तित हो तो अपनी आपत्ति विज्ञिप्ति प्रकाशन के 07 दिवस के अन्दर ठोस सबूत मय दस्तावेज के आधार पर नगर परिषद पुष्कर के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

| क्र.सं. | आवेदक का नाम | सम्पति का पता | क्षेत्रफल | चतुर्थ सीमा |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मैसर्स ओमकाक्षी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर श्री लालचंद खत्री पुत्र श्री भीवण दास खत्री | आवासीय रूपान्तरित प्लाट नं.1 2 व 33, 34 विनायक नगर बी गनाहेडा पुष्कर | 800 वर्गगज | उत्तर-प्लाट सं. 4 व 5 दक्षिण-प्लाट सं. 3 व 32 पूर्व- 40 फिट रोड पश्चिम- 30 फिट रोड |

आयुक्त नगर परिषद पुष्कर

**कार्यालय नगर परिषद् किशनगढ़ (अजमेर) राजस्थान**

क्रमांक/न.प.कि. /कृषि भूमि नियमन/2025/463 दिनांक : 15.05.2025

**लोक सूचना**

आवेदक श्री सुरेश चौहान पुत्र श्री हरिश चौहान निवासी शंकर नगर आमेर मार्ग जयपुर के द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजनार्थ (आवासिय प्रयोजनार्थ) उपयोग परिवर्तन हेतु इस भूमि के अपने अभिधृति अधिकारो के निर्वापन के लिए आवेदन किया है, अर्थात

| क्र.सं. | जिले का नाम व तहसील | राजस्व ग्राम का नाम एवं खसरा नं. | क्षेत्रफल रकबा/ भूखंड संख्या | प्रस्तावित कृषि भूमि नियमन |
|---|---|---|---|---|
| 1. | जिला अजमेर तहसील किशनगढ़ | नया गांव 44 | 11731 वर्गमीटर | अवासीय प्रयोजनार्थ |

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 15.05.2025 को जारी की गयी ।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद किशनगढ़

**कार्यालय ग्राम पंचायत कालानाड़ा पंचायत समिति अरांई,अजमेर**

क्रमांक : ग्रा.प.का/2025-26/227 दिनांक : 15/05/25

ई-निविदा सूचना संख्या 02/2025-26

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कालानाड़ा के अधीनस्थ ग्रामों में वित्तीय वर्ष 2025-26 में घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण एवं पृथक्करण, गांवों की सड़क एवं नाली सफाई कार्य तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई कार्य की सेवाओं हेतु इच्छुक प्रतिष्ठानों से वार्षिक दर संविदा/दर अनुबन्ध करने हेतु निर्धारित प्रपत्र ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया से वेबसाई http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर आमंत्रित की जाती है। उपरोक्त निविदाएं वेब पोर्टल http:www.sppp.rajasthan.gov.in पर विस्तृत विवरण देखा जा सकता है। निविदाएं निविदा खोलने की दिनांक को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष क्रय समिति द्वारा खोली जाएगी।

| क्र.स. | ग्राम पंचायत | NIB NO | UBN NO | Tender ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कालानाड़ा | ZAJ2526A0440 | ZAJ2526SLRC00506 | 2025_PRD_468621_1 |

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत कालानाडा, पं.स.अरांई, जिला अजमेर

प्रशासक
ग्राम पंचायत कालानाडा,पं.स.अरांई, जिला अजमेर

**कार्यालय ग्राम पंचायत पीपलुन्द पंचायत समिति, जहाजपुर जिला- भीलवाड़ा**

क्रमांक -ग्रापंपी/निविदा/2025-26/21 निविदा-सूचना 03/2025-26 दिनांक :12.05.2025

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज योजनान्तर्गत निम्न कार्यों हेतु ग्राम पंचायत पीपलुन्द में सक्षम स्तर पर पंजीकृत एवं अनुभवी संवेदकों से सीमित निविदाएँ निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है।

| क्र स. | कार्य का नाम | अनुमानित लागत (रु) | धरोहर राशि (रु) | निविदा शुल्क राशि (रु.) | निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि एवं समय | निविदा प्रपत्रों को भौतिक प्रति मय निविदा शुल्क एव धरोहर राशि ग्राम पंचायत में जमा करवाने की अंतिम तिथि व समय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम श्रृगारचवरी ग्राम पंचायत पीपलुन्द | 25.00 | 50000 | 400 | 23.05.2025 दोपहर 1.00 बजे तक | 23.05.2025 दोपहर 02.00 बजे तक |
| | Total | 25.00 | 50000 | 400 | | |

उक्त निविदा दिनांक 23.05.2025 को दोपहर 3.00 बजे से खोली जायेगी।

NIB code: ZBL2526A0314
UBN: ZBL2526WSOB00659

नोट-उक्त सीमित निविदा सूचना का विस्तृत विवरण मय निविदा दस्तावेज वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत पीपलुन्द

प्रशासक
ग्राम पंचायत पीपलुन्द

**कार्यालय नगर निगम, अजमेर**

क्रमांक : न.नि.अ. /भवन/25-26/54 आपत्ति सूचना दिनांक : 13/5/2025

श्री प्रकाश टहिलयानी पुत्र श्री गुरूमुखदास एवं आशा मोहिनानी पत्नी श्री प्रकाश टहिलयानी निवासी जी-77 जी ब्लॉक माकड़वाली रोड अजमेर एक सम्पति जो खसरा संख्या 5678 का एक भाग है जो वाके रामगंज ब्यावर रोड अजमेर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 445.61 व.मी. है। भूमि के वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यवसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएं निम्नानुसार है।

पूर्व में : आम रास्ता ब्यावर रोड पश्चिम में : अन्य की सम्पति
उत्तर में : चित्रा शर्मा की जायदाद दक्षिण में : नाला जाबाद आम रास्ता

अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपति प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद किसी भी आपति पर विचार नहीं किया जाएगा।

उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

**कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, अजमेर**

क्रमांक : 220 दिनांक 14.05.25

**जाहिर आम सूचना**

राजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या -क-22, घोलामाटा, अजमेर क्षेत्रफल 136.00 वर्ग गज मूल आवंटी श्री जशनमल पुत्र श्री हुकुमत राय को आवंटित कर दिनांक 11.02.1975 को मकान का भौतिक कब्जा सौंपा गया था। श्री जशनमल पुत्र श्री हुकुमत राय द्वारा दिनांक 17.03.1978 को आवास का पंजीयन करवा लिया गया। पंजीयन पश्चात् श्री जशनमल पुत्र श्री हुकुमत राय द्वारा आवास का बैचान श्री प्रकाश कुकरेजा पुत्र श्री नथूराम कुकरेजा की कर दिया गया। श्री प्रकाश कुकरेजा की मृत्यु दिनांक 13.08.2010 को हो जाने के कारण उनकी पत्नि श्रीमती मीना कुकरेजा पत्नि स्व0 श्री प्रकाश कुकरेजा के पक्ष में दिनांक 09.05.2013 को मृत्यु पश्चात आवास हस्तान्तरण के आदेश जारी किये गये। श्रीमती मीना कुकरेजा की मृत्यु दिनांक 18.11.2021 को हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री प्रशान्त कुकरेजा पुत्र स्व0 श्री प्रकाश कुकरेजा द्वारा मृत्यु पश्चात् आवास हस्तान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। श्री प्रशान्त कुकरेजा पुत्र स्व0 श्री प्रकाश कुकरेजा के पक्ष में उनकी बहिन श्रीमती पूनम भम्भानी पत्नि श्री राज भम्भानी द्वारा रजिस्टर्ड हक्त्याग पत्र प्रस्तुत किया गया है। अब श्री प्रशान्त कुकरेजा पुत्र स्व0 श्री प्रकाश कुकरेजा ने उक्त आवास से संबंधित मृत्यु हस्तान्तरण प्रपत्र प्रस्तुत कर स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया श्री प्रशान्त कुकरेजा पुत्र स्व0 श्री प्रकाश कुकरेजा का नाम मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है। अत उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी/आपति भय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात कोई आपति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड - अजमेर

**कार्यालय नगरपालिका मण्डल, परबतसर जिला डीडवाना-कुचामन राज.**

E-mail – npparbatsar@gmail.com Phone No. 01589-270141

क्रमांकः-नपाप./स्टोर षाखा/2025-26/417 दिनांकः- 14.05.2025

**निविदा सूचना**

नगरपालिका परबतसर के द्वारा नियमानुसार बोनाफाइड/अधिकृत ईच्छुक एवं अनुभवी संवेदको से निर्धारित प्रपत्र मे प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया द्वारा निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। कार्य की निविदा बेचे जाने की दिनांक 21.05.2025 को 10:00 बजे से है तथा शेष विवरण व निविदा शर्ते आदि सम्पूर्ण जानकारी वेबसाईट www.sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती है।

NIB UBN NO : DLB2526A1289
UBN NO :

| | |
|---|---|
| DLB2526SSOB04693 | DLB2526SSOB04706 |
| DLB2526SSOB04711 | DLB2526GSOB04718 |
| DLB2526SSOB04726 | DLB2526SSOB04730 |
| DLB2526GSOB04732 | DLB2526SSOB04733 |
| DLB2526SSOB04734 | |

राज.संवाद/सी/25/2365

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका परबतसर

**भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड**
(जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार)
मुख्यालय: एनएसआईसी बिजनेस पार्क, एनएसआईसी एस्टेट, ओखला फेज-III, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110020

ट्राईफेड TRIFED

**रुचि की अभिव्यक्ति**
REF: TRIFOOD/O&M/ 2025

जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) ने "ट्राइफूड" इकाई, जो की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के सृजन से लघु वन उपज के मूल्य संवर्धन के लिए एक एमएफपी प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई है।

ट्राइफेड जगदलपुर, छत्तीसगढ़ में ट्राइफूड इकाई के संचालन एवं प्रबंधन के लिए ऑपरेटर के रूप में कार्य करने हेतु प्रतिष्ठित निजी/सरकारी एजेंसियों से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है।

| क्रम संख्या | विवरण | तारीख |
|---|---|---|
| 1. | प्रकाशन की तिथि | 16.05.2025 |
| 2. | जम